

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 127 /2025 दिनांक :28.02.2025

श्रीमती अजन्ता अग्रवाल (RJ00681), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बानसूर (अलवर) को दिनांक 10.03.2025 से 21.03.2025 तक 12 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 08.03.2025 से 09.03.2025 एवं 22.03.2025 से 23.03.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती अग्रवाल की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, अलवर/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, बहरोड़ (अलवर)/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर (अलवर)/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बानसूर (अलवर) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

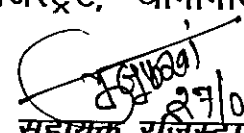

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/50/2011/1747

दिनांक :28.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 7122 दिनांक 19.02.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अजन्ता अग्रवाल (RJ00681), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बानसूर (अलवर)।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बानसूर (अलवर)।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, अलवर।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, बहरोड़ (अलवर)।
7. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर (अलवर)।
8. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर)।


सहायक रजिस्ट्रार